UPBJ180014972023

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना जिला बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं. 699/23

सरकार बनाम नितिन चौहान आदि

धारा 153(1)(ए), 153(1)(बी)भा0दं0सं0

थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर।

अपराध सं0 93/2021

30–10–2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त नितिन चौहान मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त नितिन चौहान की ओर से प्रार्थना–पत्र ब–10 इस आशय का दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में थाना हाजा से अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध भी आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश प्रसंज्ञान के समय कपिल कुमार का नाम छूट गया है। अतः अभियुक्त कपिल कुमार के नाम की बढ़ोतरी की जानी नितान्त आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र पर कार्यालय लिपिक की आख्या आहूत की गयी। कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार अ.सं. 93/21 थाना बढ़ापुर में अभियुक्तगण नितिन चौहान व कपिल कुमार है जबकि प्रसंज्ञान अभियुक्त नितिन चौहान के विरूद्ध लिया गया है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्यानुसार भी अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध संज्ञान लिया जाना आवश्यक है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मु0अ0सं0 93/21 अन्तर्गत धारा 153ए(1)(ख) में अभियुक्त नितिन चौहान व कपिल कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 18–04–23 में अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिपिकीय त्रुटिवश नहीं टंकित हो सका है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि मात्र है अतः उपरोक्त अपराध के अन्तर्गत अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध भी प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 18–04–23 तदनुसार संशोधित किया जाता है। अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध समन वास्ते हाजिरी दिनांक 30–11–2023 के लिए जारी हों। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त नियत दिनांक को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नगीना,बिजनौर।

Digitally signed by DAVENDER KUMAR
Date: 2023.10.30 17:05:39 IST
Reason: Order Pass
Location: Civil Judge (j.D) Nagina